न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम 78/2022

धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष.....मनोज कंसारी .....(अपीलार्थी) ।

बनाम

द्वितीय पक्ष ..... विजेन्द्र साहु ..... (वगैरह) ।

9.9.22

वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 09/2022 दिनांक 02.07.2022 धारा 144 द0प्र0सं0 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) मनोज कंसारी पे0 स्व0 रामधन कंसारी, सा0 पालकोट, थाना – पालकोट, जिला – गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) विजेन्द्र साहु, पे0 मदन साहु (2) रोशनी देवी, पति – विजेन्द्र साहु, दोनों सा0– पालकोट, थाना – पालकोट, जिला – गुमला के बीच खाता सं0 148, प्लॉट सं0 3391, रकबा – 0.02 एकड़ मौजा – पालकोट, जिसका चौहदी उतर – कंसगढ़िया लोग का घर, दक्षिण – कंसगढ़िया का जमीन, पूरब – पी0सी0सी0 रोड, पश्चिम – मदन साहु का पक्का मकान को लेकर लड़ाई झगड़ा का विवाद है। जिसको लेकर उभय पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। फलस्वरूप उभय पक्षों द्वारा अशांति भंग होने की सम्भावना है। थाना प्रभारी पालकोट के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष मनोज कंसारी के आवेदन पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध लाया गया है।

प्रश्नगत जमीन मौजा पालकोट थाना – पालकोट, जिला – गुमला, खाता सं0 – 148, प्लॉट सं0 – 3391, रकबा – 0.02 एकड़ से संबंधित है। उपरोक्त भूमि सर्वे खतियान में भौनाथ अहीर व डोमरा अहीर पिता– देवनाथ अहीर के नाम से कायमी दर्ज है और खतियान के कैफियत कॉलम नं0 17 पर वेअईनी बकब्जे दीना कंसागड़िया पिता– रामो कंसागड़िया शाकिन देह पुद्त छः साल से दर्ज है जो प्रथम पक्ष के पूर्वज है। वादग्त भूमि सन् 1926 से प्रथम पक्ष के पूर्वजों के समय से और वर्तमान में प्रथम पक्ष मनोज कंसारी के दखल कब्जा में है जो खतियान में स्पष्ट है। भूमि का बण्डा पर्चा (खतियान) जगरनाथ कंसारी पिता – बागी कंसारी के नाम से दर्ज है (छायाप्रति संलग्न)। दीना कंसागड़िया खतियानी कॉलम 17 के वेअइनी वकबजेदार का वशांवली निम्न प्रकार है :–

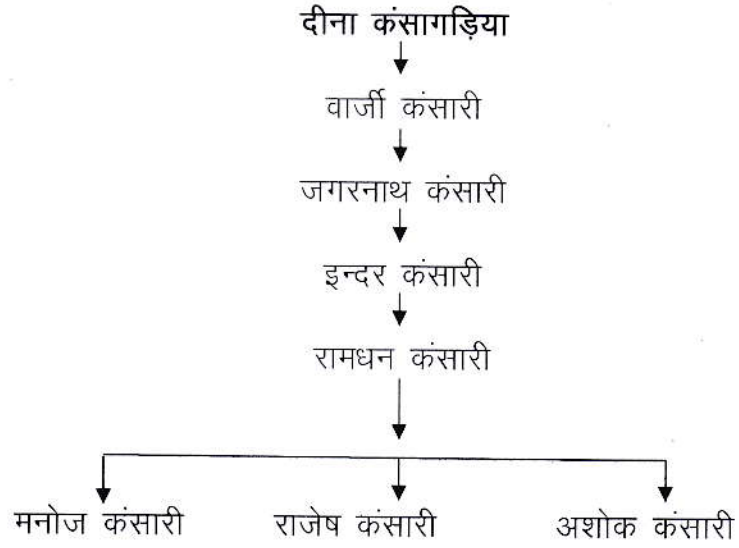

द्वितीय पक्ष एक सुनियोजित एवं षड़यंत्र के तहत रैयत पट्टा (शपथ पत्र) के माध्यम से उक्त जमीन का दाखिल खारिज कराने का प्रयास किया, लेकिन अंचल अधिकारी, पालकोट के द्वारा नामांतरण वाद सं0 – 202 R 27/21-22 को अस्वीकृत कर दिया। द्वितीय पक्ष बिना हक व सरोकार के प्रथम पक्ष के शांति पूर्वक दखल व कब्जा जमीन को हड़पना चाहते है और प्रथम पक्ष को उक्त जमीन से बेदखल करना चाहते है। खतियानी रैयत के द्वारा कोई आपत्ति उक्त जमीन को लेकर नहीं की गई है। प्रथम पक्ष के सदस्य सन् 1926 से शांतिपूर्वक दखलकार एवं काबिज है जो सर्वे खतियान और हाल खतियान वण्डा पर्चा से स्पष्ट है। द्वितीय पक्ष के सदस्य दर रैयती पट्टा को दिखाकर प्रथम पक्ष के जमीन को हड़पना चाहते है जो कानुन के विपरित है और विधि सम्मत नहीं है। प्रथम पक्ष के पूर्वज और वर्तमान में प्रथम पक्ष का दखल कब्जा 90 साल से ज्यादा है और उस आधार पर उक्त जमीन का स्वामित्व प्रथम पक्ष का हो जाता है।

उपरोक्त वर्णित एवं साक्ष्यों के आधार पर श्रीमान् से अनुरोध है कि प्रथम पक्ष के हित में धारा 144 द0प्र0सं0 की कार्यवाही विलुप्त करते हुए द्वितीय पक्ष के विरूद्ध स्थिर किया जाय, जिसके लिए प्रथम पक्ष श्रीमान् का हमेशा के लिए आभारी रहेगा।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 खतियानी की छायाप्रति।
2 वण्डा पर्चा की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि यह कार्यवाही धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के सदस्यगण के विरूद्ध प्रारंभ की गई है वह विधि व तथ्यो के विपरित होने के कारण चलने योग्य नहीं है तथा द्वितीय पक्ष के हित में विलुप्त करने योग्य है। उक्त वाद खाता सं0 148 प्लॉट सं0 3391, रकबा 0.02 एकड़ भूमि व थाना पालकोट, जिला – गुमला में अवस्थित है। खाता सं0 148 की जमीन का खतियान रिभिजन में भौनाथ अहीर वो डोमन अहीर वो घांसी अहीर सभी पिता – देवनाथ अहीर के नाम पर बना है। खतियानी रैयतों का वंशवृक्ष निम्न प्रकार है :–

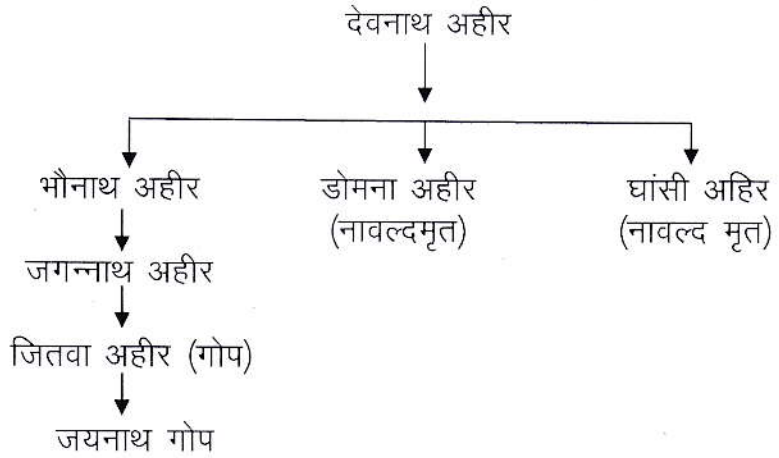

उपरोक्त वंशवृक्ष से यह स्पष्ट है कि जयनाथ गोप खतियानी रैयतो के एक मात्र वारिस है। वादगत भूमि पर खतियान बनने के समय से ही मकान बना हुआ था जिसे जयनाथ गोप के पूर्वजो द्वारा द्वितीय पक्ष सं0 1 के पूर्वजो को काफी पूर्व ही विक्री कर दिया गया था और द्वितीय पक्ष सं0 1 अपने पूर्वजो के समय से ही दखलकार थे। वादगत भूमि के रजिस्टर ।। का पन्ना फट जाने के कारण उसकी रसीद कटनी बंद हो गई, जिस कारण उसकी जमाबंदी वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रही है। द्वितीय पक्ष सं0 1 द्वारा उपरोक्त जमीन व मकान के संदर्भ में भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने हेतु उक्त जमीन का विक्रय पत्र लिखवाने हेतु जयनाथ गोप से बात किया और दोनो पक्ष उसमें सहमत हुए और विक्रय पत्र निष्पादन करने की बात तय हुई, जिसमें द्वितीय पक्ष के दोनो सदस्यगण के नाम विक्रय पत्र निष्पादित किया। उसके पश्चात विक्रय पत्र नक्शा, वंशावली इत्यादि तैयार हुआ लेकिन जयनाथ गोप के नाम पर जमाबंदी कायम न होने के कारण निबंधन नहीं हो सका, लेकिन उक्त विक्रय पत्र नोटरी के समक्ष जयनाथ गोप द्वारा सत्यापित कराया गया। दोनों पक्षों के बीच यह भी मौखिक रूप से तय हुआ है कि जयनाथ गोप की जमाबंदी कायम होने के पश्चात वाद ग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र भी उसके द्वारा निष्पादित कर दिया जायेगा। वर्तमान में द्वितीय पक्ष के सदस्यगण द्वारा अपना पुराना मकान तोड़वाकर नया मकान बनाने हेतु निर्माण सामग्री गिराई गई तो प्रथम पक्ष द्वारा वादगत् भूमि पर बिना किसी हक सरोकार के पालकोट थाना में काम कराने हेतु आवेदन दिया गया और पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्रथम पक्ष वादगत भूमि पर कोई हक सरोकार या दखल नहीं है। पुलिस को दिए आवेदन में प्रथम पक्ष द्वारा मात्र खाता सं0 268 का बण्डा पर्चा व खाता सं0 148 के खतियान की छायाप्रति संलग्न की गई है। वादगत भूमि खाता सं0 268 में नहीं है और द्वितीय पक्ष को उक्त खाता व प्लॉट को भूमि पर कोई दावा नहीं तथा खाता सं0 148 का खतियान जयनाथ गोप के पूर्वजो के नाम से दर्ज है। इसलिए प्रथम पक्ष का आवेदन केवल द्वितीय पक्ष के वादगत भूमि पर शांति पूर्वक दखल पर विघन्न उत्पन्न करने हेतु थाना में दिया गया है। प्रथम पक्ष का वादगत भूमि पर कोई हक सरोकार या दखल नहीं है। वादगत भूमि पर द्वितीय पक्ष शांतिपूर्ण दखल में है। इसलिए शांति भंग होने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रथम पक्ष का यह कथन है कि दीना कंसागड़िया उनके पूर्वज थे जो बिलकुल गलत है। प्रथम पक्ष के पूर्वज का नाम बनमाली कसंगड़िया है जो खाता सं0 268 के खतियान में स्पष्ट है जो स्वयं प्रथम द्वारा दाखिल किया गया है। कारणपृच्छा के साथ जयनाथ गोप का शपथ पत्र दाखिल किया जा रहा है जिसमें वादगत भूमि के संदर्भ में द्वितीय पक्ष के हक व दखल का उसके द्वारा समर्थन किया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि धारा 144 द0प्र0सं0 की कार्यवाही द्वितीय पक्ष के सदस्यगण के हित में विलुप्त करते हुए प्रथम पक्ष के विरूद्ध स्थिर करने की कृपा की जाय।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 खतियान की छाया प्रति।

2 रजिस्ट्री पट्टा की छायाप्रति।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, बहस, दस्तावेज एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्त भूमि मौजा पालकोट के खाता सं0 148, प्लॉट 3391, रकबा 0.02 एकड़ से संबंधित है। वादग्त भूमि सर्वे खतियान में भवनाथ अहीर, लोमा अहीर पिता – देवनाथ अहीर के नाम से कायमी दर्ज है। इन्हीं खतियानी रैयतो के वंशजों से द्वितीय पक्ष के सदस्यगण नोटरी शपथ पत्र के माध्यम से जमीन खरीदे हैं। दूसरी ओर वादग्त भूमि के खतियान के अवलोकन से पता चलता है कि कैफियत कॉलम नं0 17 में बेअइनी कब्जे दीना कबंजगड़िया शाकिन देह मुद्त छः साल से दर्ज है जो प्रथम पक्ष के पूर्वज हैं, परन्तु उभय पक्ष द्वारा दाखिल जबाब एवं दस्तावेजो से यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान में जमाबंदी किस पक्ष के किस व्यक्ति के नाम से चल रही है। द्वितीय पक्ष द्वारा यह दावा किया गया है कि उन्होने यह भूमि खतियानी रैयतो से काफी साल पहले खरीद कर घर बना कर निवास कर रहे हैं एवं वर्तमान खतियान रैयत के वंशज से नोटरी शपथ पत्र के माध्यम से क्रय कर भूमि पर मरम्मति हेतु कार्य कर रहे थे जिसे प्रथम पक्ष के सदस्य द्वारा आपत्ति एवं विरोध किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार से यह निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि यह मामला स्वत्व से संबंधित है, इसका निर्धारण इस न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में वादग्त भूमि को लेकर शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही बिना गुण–दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

भूमी सुधार उप समाहर्ता बसिया (गुमला)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2026.01.06 12:30:02 +05:30
Location: 192.168.1.35